

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 459]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 1973/ 10, 1895

No. 459]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 1973/PAUSA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue & Insurance)

**NOTIFICATION**

**CUSTOMS**

*New Delhi, the 31st December 1973*

S.O. 810(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 52-Customs, dated the 6th April, 1972, namely:—

In the said notification,—

- (a) in the first paragraph, for the words "Peoples Republic of Southern Yemen", wherever they occur, the words "People's Democratic Republic of Yemen" shall be substituted;
- (b) in paragraph 2, for the figures, letters and word "31st December, 1973", the figures, letters and word "31st December, 1974" shall be substituted.

[No. 146/F. No. 555/114/73-L.C.I]

K. SANKARARAMAN, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

## अधिसूचना

## सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1973

का० आ० 810 (अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 6 अप्रैल, 1972 की अधिसूचना सं० 52—सीमा-शुल्क में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (क) प्रथम पैरा में, जहाँ कहीं “पीपुल्स रिपब्लिक आफ मधर्न यमन” शब्द आए हैं, उनके स्थान पर, “पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ यमन” शब्द रखे जायेंगे ;
- (ख) पैरा 2 में, “31 दिसम्बर, 1973” अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर, “31 दिसम्बर, 1974” अंक, अक्षर और शब्द रखे जायेंगे ।

[सं० 146/फा० सं० 555/114/73—एल सी I]

के० शंकर रामन, अव्वर सचिव ।